FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लाखेरी

धर्मराज बनाम राज्य सरकार

किस्म मुकदमा 128, 111 R.T.A. नं. 40/प्रा.पत्र/24 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20-06-24	सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलबकर पत्रावली दिनांक 25-06-24 को पेश हो।	
25-06-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित सरकार पैरोकार तहसीलदार इन्द्रगढ़ स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर अनापत्ति जाहिर की हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया। पत्रावली फैसल शुमार हो प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

40/प्रा.पत्र/2024

दायरा दिनांक, 20.06.2024

पीठासीन अधिकारी

श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. धर्मगज देव पुत्र श्री अमर सिंह गुर्जर जाते गुर्जर निवासी पंचौली तहसील सिकराय जिला दौसा राज0
2. भूपेश कुमार पुत्र श्री अमर सिंह गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पंचौली तहसील सिक्रराय जिला दौसा राज0
3. सुनील कुमार गुप्ता पुत्र घुरमल गुप्ता जाते महाजन सा. सिकराय तहसील सिकराय जिला दौसा राज0

—प्रार्थीगण

बनाम

राज़स्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट

प्रार्थीगण की ओर से :— श्री घनश्याम सैनी

अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांक:—25.06.2024

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम डांगाहेडी पटवार हल्का उतराना हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी की कृषि भूमि खाता संख्या 18 पुराना 15 खसरा नं0 613 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 614 रकबा 2.10 है0, ख0नं0 640 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.43 है0 जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रार्थीगण है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/3, 1/3, 1/3 दर्ज चला आ रहा है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। जिसकी पत्थरगढ़ी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के खसरा नं0 613 रकबा 0.20 है0 एवं खसरा नं0 614 रकबा 2.10 है0 कृषिभूमि की सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिसके कारण आस—पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

अन्य किसानों की कृषिभूमि स्थित है इस कारण आये दिन मेड सम्बन्धी विवाद पैदा

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की कृषि भूमि के खसरा नं0 613 रकबा 0.20 है0 एवं खसरा नं0 614 रकबा 2.10 है0 कृषिभूमि की सीमाओं की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। जिसके कारण आस–पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थी की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थीगण की कुछ भूमि सिकुडी हुई है जितनी कृषि भूमि प्रार्थी के खाते में है उतनी कृषि भूमि मौके पर नहीं है। प्रार्थीगण की खातेदारी एवं व कब्जे की कृषिभूमि के पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थीगण की सीमाओ को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थिगण की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थिगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थीगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। उभयपक्ष बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम डांगाहेडी पटवार हल्का उतराना हल्का उतराना तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी की कृषि भूमि खाता संख्या 18 पुराना 15 खसरा नं0 613 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 614 रकबा 2.10 है0, ख0नं0 640 रकबा 0.13 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.43 है0 जिसका खातेदार टीनेन्ट प्रार्थीगण है। जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/3 दर्ज चला आ रहा जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000/– रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थिगण से वसूल किये जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.06.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)